संख्या-59/2016/1503/71-2-16-57/2016

प्रेषक,

अरिन्द म भट्टाचार्य़
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेन्टिर आफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय- वित्तीचय वर्ष 2016-17 में संस्थानन के कार्मिकों के वेतन एवं अन्या आवश्यधक व्यकयों के वहन हेतु वित्तीसय स्वी कृति।

महोदय,

उपर्युक्त-विषयक आपके पत्रांक-सी0बी0एम0आर0/बजट(2016-17)/2016/2868 दिनांक 01-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीोय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्यां-31 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में सी0बी0एम0आर0 लखनऊ के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य6 (वेतन) मद में प्राविधानित पूर्ण धनराशि रू0 03,00,00,000/- (रूपया तीन करोड मात्र) तथा अन्यव आवश्यरक व्यजयों के वहन हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्यां (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 04.50 करोड के सापेक्ष धनराशि रू0 02,25,00,000/- (रूपया दो करोड पचीस लाख मात्र) को निम्नालिखित शर्तो/प्रतिबन्धोंके अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यूपाल महोदय सहर्ष स्वीमकृत्प्रिदान करते है:-

1. स्वीअकृत्की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीअकृतधनराशि का आहरण वास्तरविकआवश्यलकतानुसार एवं व्यधय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीयकृत्की जा रही है। किसी अन्य मद में व्योय वित्तीायअनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्तय विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वी कृत धनराशि का व्येय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध् कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्ती निर्गत किया जाना सम्भववं नहीं होगा।

2- धनराशि को कोषागार से संस्थागन के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सातशिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्तकिये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-03 12-सेन्ट1र ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से रू0 02,25,00,000/- तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से रू0 03,00,00,000/- की धनराशि" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तापक्षर की आवश्य कतानहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यासपित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दनम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-59/2016/1503(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नमलिखित्को सूचनार्थ एवं आवश्येक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा0शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्तद नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
5. वित्तद (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
8. गार्ड फाइल/निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री भट्टाचार्य) उक्तय शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तापक्षर की आवश्यकतानहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यासपित की जा सकती है ।